

भारत सरकार
कार्यालय महाप्रबंधक
शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना,
गाजीपुर (उ0प्र0)– 233 001

फारसी–2 / 2016 / पी.एस.सी.

दिनांक : 09.10.2018

प्रति,

नोटिस बोर्ड / वेबसाइट

महोदय,

विषय :— टालविन एवं अल्कहोल के परिवहन कार्य हेतु प्रति टैंकर दर आमन्त्रण हेतु कोटेशन।

महाप्रबंधक, शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, गाजीपुर द्वारा निम्न कार्य हेतु पंजीकृत ट्रांसपोर्टरों को बन्द लिफाफे में निर्धारित प्रोफार्मा में दर उल्लेखित करने हेतु कोटेशन आमंत्रित किया जाता है। केवल GSTN पोर्टल पर GST में रजिस्टर्ड ट्रांसपोर्टर ही निविदा डालने के पात्र होंगे। कोटेशन को दिनांक 30.10.2018 तक 16.00 बजे अपराह्न तक दिया जा सकता है। उपरोक्त तिथि एवं समय के बाद प्राप्त कोटेशन स्वीकार नहीं किए जायेंगे। कोटेशन दिनांक 30.10.2018 को 16.30 बजे सांयकाल में खोली जायेगी।

क्रम सं.	कार्य का विवरण	धारण क्षमता	दर (अंकों में)	छर (शब्दों में)
1	भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, मुम्बई रिफायनरी या कोच्चि रिफायनरी से सरकारी अफीम एवं क्षारोद कारखाना, गाजीपुर हेतु टालविन 16KL क्षमता, 20KL क्षमता एवं 24KL क्षमता के टैंकर में ट्रांसपोर्टेशन कार्य करने हेतु प्रति टैंकर का दर देवे।	1.मुम्बई रिफायनरी	16KL	
			20KL	
			24KL	
			2.कोच्चि रिफायनरी	
		1.हरगाँव, सीतापुर	16KL	
			20KL	
			24KL	
		2.लखीमपुर खीरी	16KL	
			20KL	
			24KL	
		3.बलरामपुर	16KL	
			20KL	
			24KL	

नोट :- (1) उपरोक्त सामग्री दूसरे स्थान से भी लायी जा सकती है। उसका भुगतान प्राप्त दर एवं दूरी के आधार पर किया जायेगा।

(2) उक्त निविदा भारत सरकार के वेबसाइट www.eprocure.gov.in पर उपलब्ध है।

नियम एवं शर्तें

(i) दर की वैधता आदेश जारी होने के तिथि से एक वर्ष तक लागू रहेगा।

(ii) कोटेशन कार्यालय द्वारा जारी कोटेशन प्रोफार्मा के अनुसार ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए। सभी स्थानों का दर अलग-अलग प्रस्तुत करे एवं दर शब्दों में भी लिखना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर कोटेशन पर विचार नहीं किया जायेगा। कोटेशन में किसी भी प्रकार की ओवर राईटिंग/कटिंग मान्य नहीं होगी। कोटेशन दाता का हस्ताक्षर, नाम तथा फर्म की सील एवं पूरा पता न होने पर कोटेशन मान्य नहीं होगा।

(iii) आवश्यकतानुसार जब भी आदेश दिया जायेगा, फर्म को प्रतिष्ठान से ट्रांसपोर्टेशन के सभी प्रपत्र प्राप्त कर स्वयं के द्वारा निर्धारित स्थान से वांछित सामान को प्राप्त कर प्रतिष्ठान में पहुँचाना होगा। फर्म को ट्रांसपोर्टेशन आदेश प्राप्त होने के 12 दिनों के अन्दर वांछित सामग्री को इस प्रतिष्ठान तक सकुशल पहुँचाना होगा। यदि निर्धारित अवधि 12 दिनों तक उक्त सामग्री को नहीं पहुँचाया जाता है तो ऐसी स्थिति में रु0 1000/- (रुपया एक हजार मात्र) प्रतिदिन के दर से जुर्माना देय होगा। जिसकी कटौती ट्रांसपोर्टर के विजक/जमानत राशि से किया जायेगा।

(iv) ट्रांसपोर्टेशन कार्य के अनुबन्ध का कार्य आदेश में दर्शायी गयी समय सीमा पूर्ण होने के उपरान्त यदि नया अनुबन्ध नहीं होता है तो इस कार्यालय द्वारा लिखित रूप में सूचना देने पर अनुबन्धित फर्म को कार्य आदेश में दर्शायी गयी दर एवं नियम तथा शर्तों पर अगले तीन माह तक कार्य करना पड़ेगा।

(V) रिफायनरी पर कैरेज/मालवाहक पहुँचने पर माल की सुपुर्दगी यथा सम्बव शीघ्र सुनिश्चित की जायेगी। यदि पूरे कागजात के साथ कैरेज के रिफायनरी पर पहुँचने के बाद तीन दिन (72 घंटे) के अन्दर माल की सुपुर्दगी नहीं हो पाती है तो उक्त अवधि के बाद प्रतिदिन (24 घंटे) के लिए ₹0 1000/- की दर से फर्म को प्रतिपूर्ति की जायेगी।

(VI) अपंजीकृत फर्मों के द्वारा कोटेशन दिए जाने के समय (Bid Security) ₹0 5,000.00 (रु0 पाँच हजार मात्र) (डिमांड ड्राफ्ट, एफ.डी.आर, बैकर्स चेक एवं बैंक गारंटी की रूप में) अग्रिम जमानत राशि, प्रबंधक, सरकारी अफीम एवं क्षारोद कारखाना, गाजीपुर के नाम जमा करना होगा। अग्रिम जमानत राशि टेप्डर के साथ न होने की स्थिति में, टेप्डर पर विचार नहीं किया जाएगा। फर्म द्वारा प्रस्तुत दर न्यूनतम पाये जाने पर उसके द्वारा Performance Security जमा किये जाने के बाद ही Bid Security को एक सप्ताह के अन्दर वापस किया जायेगा।

(VII) न्यूनतम दर दाता को विभाग द्वारा सूचना देने पर 10 प्रतिशत (Performance Security) अथवा विभाग द्वारा निर्धारित जमानत राशि (डिमांड ड्राफ्ट, एफ.डी.आर., बैकर्स चेक एवं बैंक गारंटी के रूप में), प्रबंधक, सरकारी अफीम एवं क्षारोद कारखाना, गाजीपुर के नाम जमा करना अनिवार्य होगा। उपरोक्त Performance Security, ट्रांसपोर्टर के सभी संविदात्मक अनुबन्ध पूरा होने की तारीख के साठ दिनों बाद अवमुक्त किया जायेगा।

(VIII) दर दाता/ निविदा धारक के द्वारा अलग से दी गयी कोई शर्त मान्य नहीं होगी।

(IX) यदि दर दाता विभाग द्वारा दिये गये नियम एवं शर्तों के अनुसार कार्य करने को राजी नहीं हाते हैं या दर दाता द्वारा अपना कोई शर्त मांग की जाती है तो उन्हे कार्य करने हेतु अनिच्छुक समझा जाएगा।

(X) कार्य में अयुक्तियुक्त (Unreasonable) देरी होने से कार्य आदेश वगैर किसी भी सूचना के किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है। देरी से (निर्धारित समय सीमा के बाद)कार्य करने पर निविदा कर्ता को कार्य आदेश में दिये गए नियमों के अनुसार जुर्माना देना होगा।

(XI) सामग्री की पूरी जिम्मेदारी ट्रांसपोर्टर की हागी। उसमें किसी प्रकार की मिलावट या कम होने या किसी प्रकार की क्षति होने पर इसका मूल्य ट्रांसपोर्टर द्वारा देय होगा। जिसे ट्रांसपोर्टर के जमानत राशि/बिल या अन्य विधियों से प्रतिष्ठान द्वारा वसूला जाएगा। ऐसी कमियाँ होने पर अन्य विधिक कार्यवाही भी की जा सकती है। दुलाई की गयी सामग्री की मात्रा में 1 (एक) प्रतिशत की छूट (टालरेन्स) की अनुमति होगी।

(XII) माल के परिवहन पर खर्च भाड़े की रकम पर सेवा कर (GST) का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।

(XIII) माल परिवहन के समय रास्ते में किसी भी प्रकार के दुर्घटना होने एवं उसके अन्तर्गत धन-जन की हानि होने पर उसकी समस्त जबाबदारी ट्रांसपोर्टर की होगी एवं क्षतिग्रस्त माल के मूल्य का भुगतान फर्म को करना होगा।

(XIV) कार्य आदेश जारी होने से पूर्व फर्म द्वारा किसी भी राष्ट्रोयकृत बैंक द्वारा जारी ₹0 10,00,000.00 (रु0 दस लाख) का बैंक गारंटी (दिये गये प्रोफार्म के अनुसार) इस प्रतिष्ठान में प्रस्तुत करना होगा जो अनुबन्ध पूरा होने की तिथि के नब्बे दिनों बाद तक के लिए प्रभावी होना चाहिये। उक्त बैंक गारंटी पूरे अनुबन्ध अवधि के लिए मान्य होगा। बैंक गारंटी प्रदान नहीं करने की दशा में फर्म द्वारा प्रत्येक बार सामानों के ट्रांसपोर्टेशन से पहले सामानों के कुल मूल्य का इन्श्योरेंश स्वयं के खर्च पर कराना होगा एवं खर्च हुयी धनराशि की प्रतिपूर्ति बिल प्रस्तुत करने पर की जायेगी। इस प्रकार के अण्डरटेकिंग फर्म को कार्य आदेश जारी करने के पूर्व प्रस्तुत करनी होगी।

(XV) दर दाता द्वारा दिया गया दर अन्तिम होगा। इन्श्योरेंश प्रीमियम पर खर्च हुयी धनराशि की प्रतिपूर्ति बिल प्रस्तुत करने पर की जायेगी।

(XVI) महाप्रबन्धक को किसी या सभी निविदाओं को बिना किसी पूर्व सूचना के तथा बिना कोई कारण बताये निरस्त करने का पूरा अधिकार होगा।

(XVII) यह प्रतिष्ठान केन्द्रोय नियम (सेप्टेम्बर रूल) सं0 195/1957 के अन्तर्गत पंजीकृत है एवं प्रतिष्ठान का दिन सं 09683900013 एवं GST No. 09AAAGG0195B1ZS है। किसी भी शर्त को शिथिल करने का अधिकार, उपयुक्त कारण होने पर महाप्रबन्धक को होगा।

संलग्नक—कोटेशन देने हेतु प्रोफार्म

प्रशासनिक अधिकारी

कोटेशन प्रोफार्मा

सेवा में,
महाप्रबन्धक,
शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना,
गाजीपुर।

महोदय,

निम्नलिखित सामग्री की आपूर्ति हेतु आपके कार्यालय द्वारा जारी कोटेशन पत्र फा. सं. 2/17/2016/पी.एस.सी. दिनांक 30. 10.2018 के सन्दर्भ में हमारा दर निम्नवत है :-

(अ) दर भरने की सारणी

क्रम सं.	कार्य का विवरण	धारण क्षमता	दर (अंकों में)	छर (शब्दों में)
1	भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, मुम्बई रिफायनरी या कोच्चि रिफायनरी से सरकारी अफीम एवं क्षारोद कारखाना, गाजीपुर हेतु टालविन 16KL क्षमता, 20KL क्षमता एवं 24KL क्षमता के टैंकर में ट्रांसपोर्टेशन कार्य करने हेतु प्रति टैंकर का दर देवे।	1.मुम्बई रिफायनरी	16KL	
			20KL	
			24KL	
		2.कोच्चि रिफायनरी	16KL	
			20KL	
			24KL	
		1.हरगाँव, सीतापुर	16KL	
			20KL	
			24KL	
2	हरगाँव सीतापुर या लखीमपुर खीरी या बलरामपुर से सरकारी अफीम एवं क्षारोद कारखाना, गाजीपुर हेतु एस्कूलूट अल्कोहल को ट्रांसपोर्टेशन कार्य हेतु।	2.लखीमपुर खीरी	16KL	
			20KL	
			24KL	
		3.बलरामपुर	16KL	
			20KL	
			24KL	
		कुल योग		

कुल कीमत (अंकों एवं शब्दों में)

(ब) नियम एवं शर्तें

(i) दर की वैधता आदेश जारी होने के तिथि से एक वर्ष तक लागू रहेगा।

(ii) कोटेशन कार्यालय द्वारा जारी कोटेशन प्रोफार्मा के अनुसार ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए। सभी स्थानों का दर अलग-अलग प्रस्तुत करे एवं दर शब्दों में भी लिखना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर कोटेशन पर विचार नहीं किया जायेगा। कोटेशन में किसी भी प्रकार की ओवर राइटिंग/कटिंग मान्य नहीं होगी। कोटेशन दाता का हस्ताक्षर, नाम तथा फर्म की सील एवं पूरा पता न होने पर कोटेशन मान्य नहीं होगा।

(iii) आवश्यकतानुसार जब भी आदेश दिया जायेगा, फर्म को प्रतिष्ठान से ट्रांसपोर्टेशन के सभी प्रपत्र प्राप्त कर स्वयं के द्वारा निर्धारित स्थान से वांछित सामान को प्राप्त कर प्रतिष्ठान में पहुँचाना होगा। फर्म को ट्रांसपोर्टेशन आदेश प्राप्त होने के 12 दिनों के अन्दर वांछित सामग्री को इस प्रतिष्ठान तक सकुशल पहुँचाना होगा। यदि निर्धारित अवधि 12 दिनों तक उक्त सामग्री को नहीं पहुँचाया जाता है तो ऐसी रिथिति में रु0 1000/- (रुपया एक हजार मात्र) प्रतिदिन के दर से जुर्माना देय होगा। जिसकी कटौती ट्रांसपोर्टर के विजक/जमानत राशि से किया जायेगा।

(iv) ट्रांसपोर्टेशन कार्य के अनुबन्ध का कार्य आदेश में दर्शायी गयी समय सीमा पूर्ण होने के उपरान्त यदि नया अनुबन्ध नहीं होता है तो इस कार्यालय द्वारा लिखित रूप में सूचना देने पर अनुबन्धित फर्म को कार्य आदेश में दर्शायी गयी दर एवं नियम तथा शर्तों पर अगले तीन माह तक कार्य करना पड़ेगा।

(v) रिफायनरी पर कैरेज/मालवाहक पहुँचने पर माल की सुपुर्दगी यथा सम्बव शीघ्र सुनिश्चित की जायेगी। यदि पूरे कागजात के साथ कैरेज के रिफायनरी पर पहुँचने के बाद तीन दिन (72 घंटे) के अन्दर माल की सुपुर्दगी नहीं हो पाती है तो उक्त अवधि के बाद प्रतिदिन (24 घंटे) के लिए रु0 1000/- की दर से फर्म को प्रतिपूर्ति की जायेगी।

(vi) अपंजीकृत फर्मों के द्वारा कोटेशन दिए जाने के समय (Bid Security) रु0 5,000.00 (रु0 पाँच हजार मात्र) (डिमांड ड्राफ्ट, एफ.डी.आर, बैकर्स चेक एवं बैंक गारंटी की रूप में) अग्रिम जमानत राशि, प्रबंधक, सरकारी अफीम एवं क्षारोद कारखाना, गाजीपुर के नाम जमा करना होगा। अग्रिम जमानत राशि टेण्डर के साथ न होने की स्थिति में, टेण्डर पर विचार नहीं किया जाएगा। फर्म द्वारा प्रस्तुत दर न्यूनतम पाये जाने पर उसके द्वारा Performance Security जमा किये जाने के बाद ही Bid Security को एक स्पाह के अन्दर वापस किया जायेगा।

(VII) न्यूनतम दर दाता को विभाग द्वारा सूचना देने पर 10 प्रतिशत (Performance Security) अथवा विभाग द्वारा निर्धारित जमानत राशि (डिमांड ड्राफ्ट, एफ.डी.आर., बैंकस चेक एवं बैंक गारंटी के रूप में), प्रबंधक, सरकारी अफीम एवं क्षारोद कारखाना, गाजीपुर के नाम जमा करना अनिवार्य होगा। उपरोक्त Performance Security, ट्रांसपोर्टर के सभी संविदात्मक अनुबन्ध पूरा होने की तारीख के साथ दिनों बाद अवमुक्त किया जायेगा।

(VIII) दर दाता/ निविदा धारक के द्वारा अलग से दी गयी कोई शर्त मान्य नहीं होगी।

(IX) यदि दर दाता विभाग द्वारा दिये गये नियम एवं शर्तों के अनुसार कार्य करने को राजी नहीं होते हैं या दर दाता द्वारा अपना कोई शर्त मांग की जाती है तो उन्हें कार्य करने हेतु अनिच्छुक समझा जाएगा।

(X) कार्य में अयुक्तियुक्त (Unreasonable) देरी होने से कार्य आदेश वगैर किसी भी सूचना के किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है। देरी से (निर्धारित समय सीमा के बाद) कार्य करने पर निविदा कर्ता को कार्य आदेश में दिये गए नियमों के अनुसार जुर्माना देना होगा।

(XI) सामग्री की पूरी जिम्मेदारी ट्रांसपोर्टर की हाँगी। उसमें किसी प्रकार की मिलावट या कम होने या किसी प्रकार की क्षति होने पर इसका मूल्य ट्रांसपोर्टर द्वारा देय होगा। जिसे ट्रांसपोर्टर के जमानत राशि/बिल या अन्य विधियों से प्रतिष्ठान द्वारा वसूला जाएगा। ऐसी कमियाँ होने पर अन्य विधिक कार्यवाही भी की जा सकती है। ढुलाई की गयी सामग्री की मात्रा में 1 (एक) प्रतिशत की छट (टालरेन्स) की अनुमति होगी।

(XII) माल के परिवहन पर खर्च भाड़े की रकम पर सेवा कर (GST) का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।

(XIII) माल परिवहन के समय रास्ते में किसी भी प्रकार के दुर्घटना होने एवं उसके अन्तर्गत धन-जन की हानि होने पर उसकी समस्त जबाबदारी ट्रांसपोर्टर की होगी एवं क्षतिग्रस्त माल के मूल्य का भुगतान फर्म को करना होगा।

(XIV) कार्य आदेश जारी होने से पूर्व फर्म द्वारा किसी भी राष्ट्रोयकृत बैंक द्वारा जारी ₹0 10,00,000.00 (रु0 दस लाख) का बैंक गारंटी (दिये गये प्रोफार्म के अनुसार) इस प्रतिष्ठान में प्रस्तुत करना होगा जो अनुबन्ध पूरा होने की तिथि के न्ब्रे दिनों बाद तक के लिए प्रभावी होना चाहिये। उक्त बैंक गारंटी पूरे अनुबन्ध अवधि के लिए मान्य होगा। बैंक गारंटी प्रदान नहीं करने की दशा में फर्म द्वारा प्रत्येक बार सामानों के ट्रांसपोर्टेशन से पहले सामानों के कुल मूल्य का इन्श्योरेंश स्वयं के खर्च पर कराना होगा एवं खर्च हुयी धनराशि की प्रतिपूर्ति बिल प्रस्तुत करने पर की जायेगी। इस प्रकार के अण्डरटेकिंग फर्म को कार्य आदेश जारी करने के पूर्व प्रस्तुत करनी होगी।

(XV) दर दाता द्वारा दिया गया दर अन्तिम होगा। इन्श्योरेंश प्रीमियम पर खर्च हुयी धनराशि की प्रतिपूर्ति बिल प्रस्तुत करने पर की जायेगी।

(XVI) महाप्रबन्धक को किसी या सभी निविदाओं को बिना किसी पूर्व सूचना के तथा बिना कोई कारण बताये निरस्त करने का पूरा अधिकार होगा।

भवदीय,

स्थान :-

दिनांक :-

(क) (हस्ताक्षर)
(फर्म की सील)
फर्म का पूरा नाम व पता
GST No.—

(I) मेरे द्वारा दर के सारणी (अ) के सभी निविदियों पूर्ण रूपे भरी गयी हैं।

(II) मेरे द्वारा कुल कीमत अंकों एवं शब्दों में भरी गयी हैं।

(III) मेरे द्वारा निविदा एवं बिजक के प्रत्येक प्रति में हस्ताक्षर में भिन्नता नहीं पायी जाएगी तथा बिजक पर रसीदी टिकट अवश्य लगायी जाएगी। अगर हस्ताक्षर में भिन्नता पाई जाती है या रसीदी टिकट नहीं लगायी जाती है तो समय से भुगतान प्राप्त करने का मेरा कोई अधिकार नहीं होगा।

(ख) (हस्ताक्षर)
(फर्म की सील)
फर्म का पूरा नाम व पता
GST No.—

घोषणा

मैं श्री..... निविदा सं0 दिनांक..... में सभी नियमों को भलीभौति जान लिया है एवं उसका अनुपालन करता हूँ। यदि निविदा में कोई त्रुटि या अनियमतायें या निविदा पूर्ण रूप से भरी नहीं पाई जाती है तो मेरे निविदा को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार महाप्रबन्धक, शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, गाजीपुर को होगा। मेरे द्वारा निविदा फार्म के बिन्दु क, ख एवं ग पर हस्ताक्षर एवं मुहर लगायी गयी है तथा मेरी फर्म का पूरा पता दिया गया है।

स्थान :-

दिनांक :-

(ग) (हस्ताक्षर)
(फर्म की सील)
फर्म का पूरा नाम व पता
GST No.--